न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/36/2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. ताराचन्द्र मुतबन्ना नरसिंह ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया मृत्तक के बजाय–
   1/1–मु0 कौशल्या विधवा ताराचन्द्र ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/2–सुधीर पिता ताराचन्द्र ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (मृत्तक के बजाय)–
   1/2/1– आतीश पिता सुधीर ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/2/2– अविनाश पिता सुधीर ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/2/3– मनोरमा देवी पत्नी सुधीर ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/3–अशोक पिता ताराचन्द्र ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/4–किशोर पिता ताराचन्द्र ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/5–मुन्नी पिता ताराचन्द्र पत्नी गोपाल व्यास निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ।
   1/6–सुजाता पिता ताराचन्द्र पत्नी कुशचन्द्र गौड निवासी हाल भैसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 नानी पत्नी सालगराम (मृत्तक)
3. मु0 दाखी पिता सालगराम ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया (मृत्तक) के बजाय–
   3/1– मु0 प्रेमबाई पिता सालगराम ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. हीरालाल पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (फौत कोई वारिस नहीं)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भुलाल पिता जयचन्द ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. जगदीश पिता लक्ष्मीनारायण ब्राहम्ण निवासी भट्टों का बामनिया तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

––अप्रार्थीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :–

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 24.02.2026

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा भट्टों का बामनिया तहसील कपानस के आराजी नम्बर 1665 रकबा 0.07 हैक्ट0 स्थित है जो हम प्रार्थीगणों एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

यह कि उक्त आराजीयात से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई संबंध नही हैं फिर भी जबरदस्ती ताकत के बल पर हमारा कब्जा हटाना चाहते है एवं कब्जा हटा नाजायज कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू है जिससे उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है तो उन्हे कोई नुकसान नही है व जारी न किये जाने पर हम प्रार्थीगणों को अपार क्षति है।

यह कि प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी पेश है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें की मौजा भट्टों का बामनिया तहसील कपासन में आराजी नम्बर 1665 से हम प्रार्थीगणों को बेदखल नही करे, नाजायज कब्जे का प्रयास नही करे एवं निर्माण करने का प्रयास न तो स्वयं करें एवं न ही अपने परिवार के किसी सदस्य, ऐजेन्ट नौकर इत्यादि से ही करावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 20/01/2026 को एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पूर्व में जवाब पेश जो शा0फा0 है। जवाब अनुसार शम्भुलाल का विवादीत भूमि पर 12.07.1955 से लगातार कब्जा है, मकान बने हुए है जो इसलिए प्रार्थीगण के मुकाबले कब्जा मुखालखाना है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। पत्रावली में सुलभ न्याय निर्णय हेतु तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो निम्नानुसार है–

1. मौजा भट्टों का बामनिया की आराजी संख्या 1665 रकबा 0.07 हैक्ट0 खाता संख्या 07 में वर्णित खातेदारों के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी नकल संलग्न है।
2. मौका पर्चा अनुसार उक्त आराजी पर 1–शम्भुलाल पिता डालचन्द भट् सा0 देह ने 19 मीटर लम्बाई व 15 मीटर चौडाई अर्थात् 19 गुणा 15 बराबर 285 मीटर (0.0285) हैक्ट0 पर मौके पर पक्का मकान बना रखा है। जिसमें पक्का मकान , शौचालय, बाथरूम, रसोईघर सभी बने हुए है तथा निवासरत है। 2–जगदीशचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल गौड का लम्बाई 23 मीटर चौडाई 8 मीटर बराबर 184 वर्गमीटर पर सम्पूर्ण हिस्से पर पुरा पक्का मकान बना हुआ है तथा निवासरत है। 3–नारायण, शिवनारायण पिता भंवरलाल भट् का लम्बाई 13 मीटर चौडाई 7 मीटर बराबर 91 वर्गमीटर पर सम्पूर्ण पक्का निर्माण करके निवासरत है।
3. मौजा भट्टों का बामनिया की आराजी संख्या 0.07 हैक्ट0 में बिन्दु संख्या 2 में वर्णित तीनों का 560 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा है एवं शेष रकबा रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
4. उपस्थित मौतबिरान अनुसार उक्त आराजी पर 60 से 62 वर्ष पुराना कब्जा होना बताया गया।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगणों को अप्रार्थीगण बेदखल नही करे, नाजायज कब्जे का प्रयास नही करे एवं निर्माण करने का प्रयास न तो स्वयं करें एवं न ही अपने परिवार के किसी सदस्य, ऐजेन्ट नौकर इत्यादि से ही करावें। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर वर्ष 1955 से कब्जा होकर मौके पर पक्का मकान बना हुआ है, जो कमिश्नर रिपोर्ट से भी स्पष्ट है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। साथ ही तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात पर मौके पर पक्का मकान होकर निवासरत है। पत्रावली अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है, अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक), कपासन
(फास्ट–ट्रेक) कपासन